

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
 वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं.: 0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ई मेल: jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई) (2013)/अलेसे-आ/173

दिनांक :- 18-5-2023

कार्यालय आदेश

निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ को उनके आवेदन के अनुसरण में कॉलम 04 में अंकित परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क.सं.	लिंक नं.	नाम सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ श्री/श्रीमती/ सुश्री	नाम परीक्षा	आयोजक संस्था	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	12219	मंजू देवी चौधरी	UGC NET-Dec. 2022 Subject:- Political science	NTA	जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा, चुरू
2	9921	मुकेश कुमार रेगर	UGC NET- 2021 Subject:- History	NTA	बाल विकास परियोजना अधिकारी बनेडा, भीलवाडा (राज.)
3	12393	सुनिल कुमार बैरवा	M.A. (Previous) 2023 Subject:- Geography (Private)	University Of Rajasthan	जयपुर कथक केन्द्र, जयपुर
4	9875	मुखलेश कुमार मीणा	M.A. (Previous) 2022-23 Subject:- Political Science (Private)	University Of Rajasthan	उप कोषाधिकारी, मण्डरायल, करौली
5	12001	मनीष	UGC NET March. 2023 Subject:- Commerce	NTA	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, नागौर (राज.)
			SET-2023 Subject:- Commerce	गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा	
6	11377	भानूप्रिया पंवार	M.Com. Final 2023 Subject-Business Management (Private)	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	वित्तीय सलाहकार सिक्केवि इंगानप, बीकानेर

7	9978	लीलाधर	M.Com. Previous 2022-23 (E.A.F.M) (Private)	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	मुख्य अभियन्ता जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़
8	43384	रविन्द्र कुमार मनोहरिया	SET-2023 Subject:- History	गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर
9	10223	दिव्याश्री चौधरी	UGC NET Dec. 2023	NTA	कोषाधिकारी उदयपुर (ग्रामीण)
			SET-2023	गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा	
10	10448	भोजराज चौधरी	SET-2023	गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा	सहायक निदेशक अभियोजन, टोंक

उक्त स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो उक्त स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 3 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 4 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और उस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 5 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.4(ई) (2013)/अलेसे-III/173

दिनांक :- 18-5-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
2. संबंधित..... सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-III कार्यालय.....
3. निजी सचिव, निदेशक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित डीलिंग सहायक/निजी पत्रावली।

(के. जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III/III)